

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत  
रजिस्ट्रेशन हेतु

# आवेदन प्रपत्र

ग्राम स्थान

**किशोर बुक डिपो**

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग  
जयपुर-302 001

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के  
अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)  
तथा  
संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र के बीच मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 को धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 0 पर उनके बाये सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि क्रम से क्रम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें क्रम से क्रम 15 आवंटक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 मार्क्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सके:- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अथवा:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, मैनिक अनाथ निधियां, 1 [खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या लौलत कलाओं की प्रोनेन्टि के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के माधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या बाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और ग्रांडिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अधिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें हिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमाबली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रूपये 10/- के स्टाप्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. शहरी क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक अथवा पार्षद के अनापति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे और ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावें।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारों द्वारा पंजीयन हेतु पत्राबली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्त शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रेजुएट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका को प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र मिलान किया जाना उपयुक्त रहेगा।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नि, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उन पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
22. नई संस्था के आवेदन प्रपत्र केवल मोमवार/मंगलवार को ही कार्यालय समय में जमा करवाये जा सकते हैं।
23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
24. रजिस्ट्रेशन के लिए पृष्ठ 24 पर देखें।



नोट :

राजस्थान विवास अध्यक्ष  
अध्यक्ष



तत्काल जमा  
ही जमा

टोर्केम्प्रेस्ट्रा  
मेंत्री

न किये जाने

3



स्टेटिस्टा  
कोम्प्लेक्स

श्री रामराधनप अंडु वाले द्वारा केसनत एवं इन्हि समिति/सोसाइटी/संस्था/संस्था

## संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम श्री रामराधनप अंडु वाले द्वारा केसनत एवं इन्हि समिति/सोसाइटी/संस्था/संस्था है जो रिसर्च स्टोर्स पर्सनल रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय मंडावर (जिला दौला) है तथा कार्यक्षेत्र:- दौला ज़िला - तथा इसका कार्यक्षेत्र ज़ि. दौला क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- 1 श्री विद्यन सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, धनधनी के भवित्वे व्यापक सुरक्षा तथा
- 2 मानव जीवि के कल्याण द्वारा रुप उत्पादन द्वारा शक्तिशाली संस्थाओं का विस्तार करना
- 3 श्री श्री केंद्रीय विकास और अनुसंधान कार्य करना तथा तकनीकी
- 4 श्री कार की शक्तिशाली व्यापक विद्यों का विकास करना
- 5
- 6

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।  
(राज.)

5

मानविकी  
अध्यक्ष

J. W. L. D. M.  
मन्त्री

संगीत  
कोषाध्यक्ष

संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
रामनीवास गोपल ५१० श्रीरामस्वरूप मालवा	बापार	८१० रामनीवास गोपल मठावर मुद्रवां रोड जि. दोहरा	अध्यक्ष
५१० श्रीराम शुभा ५१० श्री मोहन लाल शुभा	बापार	८१० रोदिक हॉटेल मठावर जि. दोहरा	मन्त्री
संगीत घोषोगोप मालवा	गृहीत	पुराना बजरंगेड के पास. मठावर जि. दोहरा	बोराम्यक
पूजा शुभा ५१० चदम गोपल	गृहीत	८१० लिदले दुर्गी भल्होल इम्पली फ्लॉर मठावर	उपाध्यक्ष
श्रीवेशपाल शुभा ५१० श्री रामस्वरूप शुभा	बापारी	८१० श्रीवेशपाल दुमानसदाप अनाज मठावर मुजाबर जि. दोहरा.	लक्षण्यक
श्रीजु-दुष्टाद शुभा ५१० श्री कोलारा चन्द	अद्यापन	पछोल पश्च के पास मठावर जि. दोहरा	महाम
श्रीष्ठाद गोपल ५१० श्री राम अवतार शुभा	बापारी	८१० श्रीष्ठाद वस्त्री के पास मठावर जि. दोहरा	लक्षण्यक
कुमार शुभा जि. दोहरा ५१० श्री सरवन लाल शुभा	बापारी	कुमार कोलोनी मठावर जि. दोहरा.	महाम
श्रामस्वरूप श्रीन ५१० श्रामपीवन श्रीन	बापारी	८१० श्री का बास मठावर जि. दोहरा	लक्षण्यक


(3)

सं. म.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10				
11				
12				
13				
14				
15				

१०८५४३२१००५७

मन्त्री *New England* संगीत  
कोषाध्यक्ष

7



संगीत  
कोषाध्यक्ष

मन्त्री *New England*

संगीत  
कोषाध्यक्ष

5. यह निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होनेव इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	शमनिवास गोपल डॉ. श्री रामस्वरूप गोपल	व्यापार	निवासी मण्डादर तह - महवा जिला - दौसा (राज.)	.....
2.	हरिजोग गुप्ता डॉ. श्री मोहन लाल गुप्ता	इंस्ट्रर	निवासी मण्डादर तह - महवा जिला - दौसा (राज.)	.....
3.	संगीत अग्रवाल भू. धोगेश अग्रवाल	गृहणी	निवासी - मण्डादर तह - महवा जिला - दौसा (राज.)	संगीता
4.	बीना अग्रवाल भू. अजय गुप्ता	गृहणी	इन्होंना कालेजी - दौसा	बीना अग्रवाल
5.	पूजा गुप्ता भू. पदम गोपल	गृहणी	निवासी मण्डादर तह - महवा जिला - दौसा (राज.)	पूजा गुप्ता
6.	श. चौधार्य गर्ग डॉ. श्री रामस्वरूप गर्ग	व्यापार	निवासी - मण्डादर तह - महवा जिला - दौसा (राज.)	श. चौधार्य गर्ग
7.	श. जेन्ड्र प्रसाद गुप्ता डॉ. श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता	अध्यापक	निवासी - मण्डादर तह - महवा जिला - दौसा (राज.)	श. जेन्ड्र प्रसाद
8.	मिशन ब्रिंजल मिशन ब्रिंजल कालेजी	सं. लेक्चरर	विकलाल कालेजी - दौसा	मिशन ब्रिंजल
9.	दुर्गा प्रसाद जोशी डॉ. सरवन लाल जोशी	लिंगारी	दुर्गा प्रसाद जोशी - मण्डादर तह - महवा जिला - दौसा (राज.)	दुर्गा प्रसाद

मानवाधिकारी  
अध्यक्ष

मन्त्री

संगीत  
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	अनीराम गुर्जर श. श्री कन्देश लाल गुर्जर	बौद्धी कुर्सि	निवासी - बैंगना १७५ तह - महवा जिला - दोता (राज.)	ठोनीर्गंगे
11.	शाखामोहन अग्रवाल श. धनश्याम उम्पाल	बौद्धी कुर्सि	निवासी - भृष्ट १९२ तह - महवा जिला - दोता (राज.)	राधामोहन
12.	रामस-परबप मीणा श. श्री रामजीवन मीणा	बौद्धी कुर्सि	निवासी - छोड़ी कालास मजदूर तह - महवा जिला - दोता (राज.)	रामस-परबप
13.	कमललाल सेन श. शीनारामण सेन	बौद्धी कुर्सि	निवासी - नागल तुम्हेर स्टिट हृष्ट महवा छोड़ा १०८	कमल-तामा
14.	इरण्ड-चन्द डोपल श. रामझावलर डोपल	बौद्धी कुर्सि	निवासी - अ०३१७२ तह ० महवा - दाना	इरण्ड-चन्द
15.	रामलाल अवधप श. लल्माण लालप अवधप	बौद्धी कुर्सि	निवासी - म००१७८ तह ० महवा - दासा	रामलाल
16.				
17.				
18.				

संगीतोंगी

मनो  
मनीसंगीता  
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण वार्ष	हस्ताक्षर
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

अध्यक्ष  
भारत कानूनी सेवा

मन्त्री  
Anubha

संगीत  
कोषाध्यक्ष

क्र. नं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

11


मानविकी  
अध्यक्ष

Kuldeep  
मन्त्री

संगीता  
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.	(1) संरथ्या कम. बिल्डर नामांक (2) मंगला नामांक (3) फैटा नामांक (4) जी. ए. नामांक	भारतमस्कर्प उड्डल्लात एज्युकेशन्स	१३ रिसर्च रोड गोडावरी सेट्टल विहार, भंग	
39.	(5) द. नामांक (6) हस्ताक्षर राजस्टार	सात	१२१-७५-०३	
40.			१२१-७५-०३ १२१-७५-०३ १२१-७५-०३	१२१-७५-०३

हम निम्नलिखित प्रभावित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।




(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता) (ग्रन्थालय संग्रहालय)  
 जगद्वारी लाल ५/० गिरिशंकर साहित्य प्राप्ति  
 १० हिन्दुत्तान अडोमे बर्इल  
 नृणा कुराना वसन्तपुर, मठोकर्टो प्रति

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)  
 श्री अमेपुक्ष विठ्ठल मजीली  
 पुराने बस्टर्ड के पास  
 दु.पे. विठ्ठल  
 दालोंगड़ के अनुसार है।

नोट : शापथ पत्र नोटेरी पन्द्रिलक अथवा गृह्यपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

MIT GUNJING Attested  
अध्यक्ष गुरु



अमीराम संबन्ध प्र अधिकार एजेंसी के समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था  
विधान (नियमावली)

- संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम अमीराम संबन्ध प्र अधिकार एजेंसी नं ०५  
एक समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है वरहेगा।  
मुंजावर (जि० बौद्ध)
- पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय है  
तथा कार्यक्षेत्र:- जिला औसा  
तथा इसका कार्यक्षेत्र जि० औसा क्षेत्र तक सीमित होगा।
- संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- वर्जी विद्यालय, सार्वजनिक शिक्षण संस्कृति की सहायता करना प्रावधानकर्ता है एवं अधिकारियों द्वारा स्वतंत्रता
- प्राथमिक कार्यक्रम का व्यापार द्वेषु उत्त्पान द्वेषु और शारीरिक स्वस्थाका विकास करना
- शिक्षा तंत्रिका स्थिरता एवं सुनुसारा कार्यकरना
- विभिन्न प्रकार की शारीरिक उच्चात्मकीय की द्वारा विभिन्नों की व्यवस्था करना
- 
- 

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


13

मानवान्वयन  
अध्यक्ष

मन्त्री

संगीत  
कोषाध्यक्ष

7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

14

मानवान्वयन  
अध्यक्ष

Mr. Gopal

लला लला  
मन्त्री

८

संगीत  
कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता :-

- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-
- 1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
  - 2- बालिग हों।
  - 3- पांगल, दीवालिये न हों।
  - 4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
  - 5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :-

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- 1- संरक्षक
- 2- विशिष्ट
- 3- सम्माननीय
- 4- साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क  
व चन्दा :-

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क  
व चन्दा देय होगा :-

1- संरक्षक राशि ..... N.I. वार्षिक/आजन्म

2- विशिष्ट ..... N.I. वार्षिक/आजन्म

3- सम्माननीय राशि ..... N.I. वार्षिक

4- साधारण राशि ..... 50/- वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .... 15/- रु. ५३.८९ रुपये  
को मासिक कोटड़ से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :-

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1- भ्रष्ट रूपरेखा पर

2- सांग-हस्तांक पर

3- संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4- प्रबन्धकारणों द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

#### 8. साधारण सभा:-

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

#### 9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :-

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :-

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन घटना।

(जो रजिस्टर के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

#### 10. साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करे जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन्हीं विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से बोर्डीकम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 दिन के अन्दर-अन्दर बैठक आहत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री बैठक सम्पुत्ताये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस कर सकें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व स्वीकृत होंगे।

संसद के कार्य को सुधारने का लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके चाहिएगी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक      2. उपाध्यक्ष-एक

3. अधिकारी-एक      4. कोचाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-महाप्रबन्धक

(इन पदों के लैटिरिक अन्य पद या पदनाम चरिवर्तन किये जावें, तो वहाँ अंकित करें। काम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में प्रबन्धकारी व  
प्रबन्धक अधिकारी व सदस्य होंगे।

इनकी काम  
करने :-

- 1- संसद की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी को नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

इनकी के  
कार्य और कर्तव्य

संसद की कार्यकारिणी के नियालेखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनावट/दिक्षासित करना।

2- वार्षिक बज़ेरा तैयार करना।

3- संसद की सम्पत्ति को सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कार्यकारिणों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित नियंत्रों को क्रियान्वयन करना।

6- कार्य अवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।

7- अन्य कार्य जो संसद के हितार्थ हों, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-
- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी सेफिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
  - 2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
  - 3- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
  - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संसद की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बरावर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संसद के प्रतिनिधित्व करना।

5- संचिदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

~~6- अनुपस्थिति की~~ अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मंत्री बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकाई रखना।

- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

- ~~4-उपमंत्री:-~~
- 1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
  - 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारियों/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

#### 5-कोषाध्यक्ष :

- 1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :-

संस्थाएँ कोकीर्णप्रिस्ट्रैप्रकार से संचित होगा :-



- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी गट्टीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हों दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

फोटो प्रति विशेषाधिकार स्लिकार्ड के अनुसार संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी की राशि एक मूलत स्वीकृत कर सकेंगे :-

विश्वायकार उसका का राशि एक मुश्त स्वाकृति दर  
हस्ताक्षर पढ़ने वाले के १-अध्यक्ष ३००५ रु.

हस्ताक्षर सुनने काले के नमूल होते हैं जिनमें से एक ३५८८/- रु.

नवाल लघु कला एवं दर्शक की विभागीय संस्था २००१-  
नवाल तंत्रज्ञान एवं रसीदी विभागीय संस्था १९९२-  
नवाल कोषाध्यक्ष १९९२-

नवाल देने की दि. .... १५/१८/१९४७ क्रमांक १०००१

प्रतिक राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक है। अपार्टमेंट नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

四

18. संस्था का अंकेक्षण :— संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्दिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्धिक लेख राजस्ट्रार संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।

### 19. संस्था के विधान में परिवर्तन :-

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्टरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुल्प होगा।

## 20. संस्था का विघटन :-

यदि संस्था का विषय आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था एवं रेजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रेजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे  
का निरीक्षण :-

जिस्टार मंस्थेए दाता को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमाबली) सभी राम इवरेप अमेरिका  
संघीय संसद-ए-उड्डार तथा श्रेय समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था को सही व सच्ची प्रति है।  
साइटी मोडावर

## ग्रन्थालय

आत्मकृ

Sam Galvin

५०

संगीत  
कोषाध्यक्ष

मन्त्री  
संग्रहालय/२००७-०८

(1) विद्युत  
 (2) संस्कृत  
 (3) अध्ययन  
 (4) दस्तावेज  
 (5) दिनांक  
 (6) हस्ताक्षर

५

### शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था  
के संशोधन पूर्वक घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था ..... के पंजीयन हेतु कुल ..... आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस ज्ञेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमाबली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों को पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुच्छेद आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति 5 किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, ..... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ..... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

*प्रमाणित होने पर*  
अध्यक्ष

*मन्त्री*

*संगीता*  
कोषाध्यक्ष

### सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें ..... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। इंश्वर साक्षी है:

*प्रमाणित होने पर*  
अध्यक्ष

*मन्त्री*

*संगीता*  
कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा। तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

*प्रमाणित होने पर*  
अध्यक्ष

मन्त्री

*संगीता*  
कोषाध्यक्ष

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

### शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पर्दाधिकारी संस्था .....

के सशपथ घोषणा करते हैं कि:

1. हमारी संस्था का पंजीयन सं... दिनांक ..... है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य ..... है।
3. संस्था की आम सभा दिनांक ..... को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक ..... को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ मंलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा मदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक ..... को सूचना का नोटिस दिनांक ..... को समस्त मदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थाने,
- को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाता है।

प्रमाणवाहिका  
अध्यक्ष

मंत्री

सत्यापन

संगीता  
कोपाध्यक्ष

प्रमाणवाहिका  
अध्यक्ष

मंत्री

संगीता  
कोपाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रूपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

प्रमाणवाहिका  
अध्यक्ष

मंत्री

Yashpal

संगीता  
कोपाध्यक्ष

## विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अंथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कारम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था को उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बुलायी गयी विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र  
हम निम्नलिखित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. बुलनात्यक स्टेटमेंट निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विधान को द्वारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

- अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5)सह./91 दिनांक 11.2.2003 द्वारा प्रदेश में अकाल की स्थिति को देखते हुए पशुधन की सुरक्षा हेतु आदेश की तिथि से पंजीकृत होने वाली प्रत्येक गौ-सेवा समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 100/- रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 7.7.2003 द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.6.2003 के द्वारा प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसाइटी जलधारा समितियां, भू-जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत बाटर शोइस कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों के पंजीयन के लिए जन साधारण की भागीदारी को देखते हुए पंजीयन शुल्क 1000.00 रु. निर्धारित किया गया था, में शिथिलता प्रदान कर सभी पेयजल व्यवस्था से संबंधित समितियों का पंजीयन शुल्क रु. 500/- निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 30.9.2003 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा मण्डल स्थापित किये जाने के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 2500/- रु. में शिथिलता प्रदान कर पंजीयन शुल्क 250/- रुपये निर्धारित किया जाता है। घटी हुई राशि की सुविधा केवल उन्होंने नेहरू युवा मण्डलों को दी जावेगी, जो नेहरू युवा केन्द्र के उपनियमों के तहत पंजीकृत हों।

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रभाण-पत्र

क्रमांक...०७/दोसा/ 2007-2008

यह प्रभाणित किया जाता है कि श्री रामरसवरुप अग्रवाल  
एच्चुकेश्वरलाल एड रिसर्च सोसायटी मण्डाकर ज़िला दोसा  
जा राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान  
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज  
किया गया।

इस प्रभाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक ..... दो ..... माह ..... मई ..... सन् २००७ को दोसा  
किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थान-०७  
संस्थान दोसा